

समाहरणालय, नालन्दा।
(जिला भू-अर्जन कार्यालय)
समाहर्ता/अपर समाहर्ता-सह-समुचित सरकार
प्रारम्भिक अधिसूचना
शुद्धि-पत्र
(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1) के अधीन)

परियोजना का नाम- परियोजना परियोजना पावापुरी-विलारी (घोसरावाँ से छाछुविगहा) पथ के निर्माण कि०मी० 5.06 से 9.31 कि०मी० तक उन्नयन कार्य

मौजा का नाम-दरवेशपुरा, थाना नं०-308, अंचल-कतरीसराय, जिला-नालन्दा

दैनिक समाचार पत्र "हिन्दुस्तान" एवं "प्रभात खबर" में दिनांक 15.03.2020 एवं 14.03.2020 के पृष्ठ संख्या 12 एवं 11 पर तथा "जिला गजट" के असाधारण अंक संख्या 09 दिनांक 09.03.2020 के पृष्ठ संख्या 01 पर प्रकाशित अधिसूचना संख्या-563, दिनांक 06.03.20 को निम्नांकित संशोधन के साथ पढ़ा एवं समझा जाय। पूर्व में PR No-017268(राजस्व)/19-20 से प्रकाशित।

(1) दैनिक समाचार पत्र "प्रभात खबर" में दिनांक-14.03.2020 के पृष्ठ संख्या-11 में एवं "हिन्दुस्तान" में दिनांक-15.03.2020 के पृष्ठ 12 में प्रकाशित अधिसूचना में मौजा दरवेशपुरा थाना नं०-308 में प्रकाशित प्रारम्भिक अधिसूचना के पारा 02 एवं 10 में कमोवेश रकवा 4.3266 एकड़ के स्थान पर 4.3276 एकड़ पढ़ा एवं समझा जाय।

ह०/-
समाहर्ता,
नालन्दा।

ज्ञापांक-619/भू०अ०, दिनांक-06/04/2021

प्रतिलिपि:- निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को स्थानीय भाषा के दो समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित करने और प्रकाशित संस्करण को इस कार्यालय एवं जिला भू-अर्जन कार्यालय नालन्दा को यथाशीघ्र भेजने हेतु। PR No-017268(राजस्व)/19-20 से प्रकाशित।

प्रतिलिपि:- उप समाहर्ता प्रभारी सामान्य शाखा, नालन्दा बिहारशरीफ को जिला गजट के अगले साधारण/असाधारण अंक में प्रकाशित कराने और इसकी (10) दस अतिरिक्त प्रतियाँ जिला भू-अर्जन कार्यालय, नालन्दा को प्रेषित करने हेतु।

प्रतिलिपि:- जिला अवर निबंधक, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पेषित।

प्रतिलिपि:- सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी(NIC)नालन्दा को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित

प्रतिलिपि:- अपर समाहर्ता, नालन्दा/अनुमंडल पदाधिकारी, राजगीर/भूमि सुधार उप समाहर्ता, राजगीर/अंचल अधिकारी, कतरीसराय एवं संबंधित ग्राम पंचायत के सूचना पठ पर प्रकाशित हेतु

प्रतिलिपि:- निदेशक, भू-अर्जन, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


समाहर्ता,
नालन्दा।

समाहरणालय, नालन्दा

(जिला भू-अर्जन कार्यालय)

प्रपत्र-VI

समाहर्ता/अपर समाहर्ता-सह-समुचित सरकार

अधिघोषणा

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19(1) के अधीन)

पत्रांक:- /भू0अ0,

दिनांक:- / /2021

चूँकि बिहार सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजन यथा परियोजना बड़ीमठ (परबलपुर) से देवरिया भाया मुरगौवा-रामगंज-मैजरा पथ के कि०मी० 3 (चैनेज 2+331) में जलवार पैमार नदी पर उच्च स्तरीय आर०सी०सी० पुल (3x18.00m) के पहुँच पथ के निर्माण कार्य हेतु मौजा-सोनचरी, थाना नं०-60, थाना इसलामपुर, अंचल-परबलपुर, जिला-नालन्दा में कुल-0.515 एकड़ भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खण्ड है, जो मानक माप से कमोवेश 0.515 एकड़ है और जो मौजा-सोनचरी थाना-इसलामपुर थाना नं०-60 अंचल-परबलपुर जिला-नालन्दा में है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	खाता सं०	सर्वेक्षण भूखंड संख्या	स्वागित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (एकड़ में)	हितवद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
मौजा-सोनचरी, थाना नं०-60										
1	250	3222	निजी	धनहर	0.305	रामनंदन सिंह पिता रामजतन सिंह दो हिस्सा वो मुन्द्रिका प्रसाद पिता मथुरी सिंह दो हिस्सा वो राजवल्लभ सिंह वो राजेन्द्र सिंह पिता रामदेव सिंह दो हिस्सा व हिस्से बराबर वो राम चरितर सिंह पिता रामनाथ सिंह दो हिस्सा वो वृजनंदन सिंह पिता महाबीर सिंह आठ हिस्सा वो श्याम नारायण सिंह वो नन्हकु सिंह आठ हिस्सा जाति भूमिहार सा०-नीजग्राम				
2	59	3273	निजी	भीठ	0.21	चन्द्रदीप सिंह वो राम परसन सिंह वो शिवनंदन सिंह पिता वैजनाथ सिंह व हिस्से बराबर जाति भूमिहार ब्रह्मण सा०-नीजग्राम				

यह अधिघोषणा हितवद्ध व्यक्तियों कर आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं०-30/2013 की धारा-15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित किये गये हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:-

मौजा-सोनचरी थाना-इसलामपुर थाना नं०-60 अंचल-परबलपुर जिला-नालन्दा क्षेत्रफल 0.515 एकड़ उपर्युक्त भूमि या किसी उपर्युक्त भूमि के विशेष भाग में पड़े कोयला खदान, लौह-पत्थर, स्लेट या अन्य खनिज हैं, ऐसे भागों में पड़े हुए खदान एवं खनिज जिसे उस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की गई है परियोजना के निर्माण के दौरान खोदे जाने या हटाया अथवा उपयोग किए जाने की अपेक्षा है को छोड़कर, आवश्यक नहीं है।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, नालन्दा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार नीचे दिये गये हैं:-

प्रशासक- सह- अपर समाहर्ता, नालन्दा द्वारा पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन योजना तैयार किया गया। प्रस्ताव को समाहर्ता, नालन्दा द्वारा अनुमोदन करते हुए आयुक्त-सह-पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन पटना प्रमंडल, पटना को स्वीकृति हेतु भेजी गयी है। आयुक्त-सह-पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन पटना प्रमंडल, पटना द्वारा स्वीकृति दी गयी जिसकी सूचना पत्र-289/रा0, दिनांक-26.03.2021 से सूचित है कि सरकार द्वारा भूमि अर्जन के फलस्वरूप विस्थापित होने वाले परिवार/व्यक्ति की संख्या शून्य है।

ह0/-
समाहर्ता
नालन्दा।

ज्ञापांक-620/भू0अ0,

दिनांक:-06/04/2021

- प्रतिलिपि:- उप समाहर्ता, प्रभारी सामान्य शाखा, नालन्दा बिहारशरीफ को जिला गजट के अगले साधारण/असाधारण अंक में प्रकाशित कराने और इसकी (10) दस अतिरिक्त प्रतियाँ जिला भू-अर्जन कार्यालय, नालन्दा को प्रेषित करने हेतु।
- प्रतिलिपि:- जिला अवर निबंधक, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी एन0आई0सी0 नालन्दा को जिले के वेबसाइट पर अपलोड हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- अपर समाहर्ता, नालन्दा/अनुमंडल पदाधिकारी, हिलसा/भूमि सुधार उप समाहर्ता, हिलसा/अचल अधिकारी, परबलपुर एवं संबंधित ग्राम पंचायत के सूचना पट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- निदेशक, भू-अर्जन बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।


समाहर्ता
नालन्दा।